तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12/9/25	O.साहब दौरे पर है। पत्रावल आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 16/10/25 को पेश हो	
16/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। के बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/10/25 को पेश हो	
30/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। निर्णय अलग से लिखकर जारी शा० पत्रावली किया गया। पत्रावली नियम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 61/23

गुड्डी पुत्री शिंभुराम पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी ग्राम अजासर तहसील व जिला नागौर

वादीनी

बनाम

1. रतनीदेवी पत्नि प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शिंभुराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मांगीलाल पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. सहीराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. भागीरथ पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. जगदीश पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
9. उप पंजियक अधिकारी कातर छोटी जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. हरीराम पुत्र शिंभुराम आयु 17 वर्ष जरीये संरक्षक पिता शिंभुराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. चुन्नीलाल पुत्र शिंभुराम आयु 12 वर्ष जरीये संरक्षक पिता शिंभुराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. रामकंवरी पुत्री शिंभुराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-10-25

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी की दादी रतनीदेवी पत्नि प्रहलादराम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 497 चार सो सतानवे तादादी 5.0586 पांच दशमलव जीरो पांच आठ छः हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे आगे वाद में ''वादगत भूमि'' के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि वादीनी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

सात की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि है। वादगत भूमि खेत वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण की पैत्रिक व कोपार्सनरी सम्पति है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र पौत्री का जन्म से ही दादा दादी की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इस कारण वादगत भूमि में वादीनी, प्रतिवादी संख्या 2 दो व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का 1/35 एक बट्टा पेंतीस हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 7 सात प्रत्येक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा नियत है। वादीनी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण वादगत भूमि में अपनी–अपनी हिस्सा भूमि को काश्त करते आ रहे है एंव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था लेकिन पिछले एक साल से प्रतिवादी संख्या 01 एक के मन में बेइमानी आ गई। वह वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण से झगडा करने लगी। इसलिए समाज के मुखियान ने वादगत खेत की वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि का विभाजन कर अलग सीमा कायम कर दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी हिस्सा भूमि काश्त कर ली लेकिन पुनः प्रतिवादी संख्या 01 एक की नियत खराब हो गई। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण को उनकी हिस्सा भूमि से वंचित करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत भूमि को विक्रय, हस्तातंरण, रहन, बैय, दान पत्र के जरीये खुर्द बुर्द करने पर लगी हुई है। इस कारण वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपने हिस्सा भूमि की घोषणा कराये। इस कारण घोषित किया जावे कि वादगत खेत वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण का पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति का है जिसमें वादीनी, गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 02 दौ प्रत्येक 1/35 एक बट्टा पेंतीस हिस्सा भूमि के खातेदार कृषक है। इस कारण वादीनी वादगत भूमि में खातेदारी अधिकारों की घौषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने की कानूनी अधिकारी है क्योंकि वादगत भूमि वादीनी एंव गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के लिए एंव वादीनी की हिस्सा भूमि के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधायें उत्पन्न न करने के लिए दिनांक 01.11.2023 को निवेदन किया लेकिन वोह मानने से साफ इनकार हो गई। प्रतिवादी संख्या 01 वादीनी को ऐलानियां धमकियां दे रही है कि उन्होनें वादगत भूमि को विक्रय करने की बात पक्की कर ली है व साई भी प्राप्त कर ली है। अब वो शीघ्र ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर ही रहेगी। विक्रय पत्र निष्पादित ना होने की सुरत में वादगत भूमि की वसीयत, दानपत्र करके ही रहेगी। यही दावे का कारण है। वादीनी का आधार वादगत खेत वादीनी के दादी के खातेदारी का होने से प्राप्त है। वादगत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला-बीकानेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (राज.)

भूमि में वर्तमान में वादीनी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 एक के मन में बेईमानी आ गई है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत खेत को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन आदि कर देगी तो वादीनी के अधिकारों के विपरित असर पडेगा। वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 एक का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिए प्रतिवादीगण को न्यायालय से जरीये चिर निषैधाज्ञा की डिक्री से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह वादीनी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के खेत को जब तक राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें। इस दौषपूर्ण कृत्य से यदि प्रतिवादी संख्या 1 एक को नहीं रोका गया तो वादीनी को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित किया जावे की वोह वादीनी के कब्जे काश्त एंव हिस्सा की भूमि को काश्त करने से न रोके व ओर न ही उसको जबरन हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करें ओर ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे वादीनी के वैध अधिकारों के विपरित प्रभाव पडता है। राजस्थान सरकार वाद मे आवश्यक पक्षकार है इस कारण कानूनी आपतियों का मध्य नजर रखते हुए उसे दावा में प्रतिवादी संख्या 10 दस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. का 2 दौ माह की अवधि का कानुनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है एंव राज्य सरकार को दौ माह को नोटिस दिया गया तो समय लगेगा तब तक प्रतिवादीगण अपने गलत उदेश्य में सफल हो जायेगे तो वादीनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादीनी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से छुट की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीनी के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बाहर होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा घोषणात्मक, राजस्व रेकार्ड में संशोधन, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,3,5,6 जरीये वकील न्यायालय में हाजिर हुए। लेकिन कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब नहीं दिये जाने पर उनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,4, 7 ता 9 व गौण प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। साक्ष्य वादी में वादीनी ने अपना शपथ पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। वादीनी से प्रतिवादी वकील ने जिरह की, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के बाद भी किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की। इस कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई। बहस सुनी गई। वादीनी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादीनी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी अपनी हिस्सा भूमि की घोषणा करवानी चाहती है। वादीनी वकील ने भी अपनी बहस में बताया कि वादीनी केवल अपनी हिस्सा भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है। जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद घोषणा का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर खसरा संख्या 497 तादादी 5.0586 हेक्टेयर भूमि वादीनी व गौण प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि है जिसमें वादीनी व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/35 हिस्सा भूमि के खातेदार है। इस कारण वादगत भूमि में वादीनी व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम 1/35 हिस्सा भूमि खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। इस हेतु अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30-10-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

अंतिम डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
गुडडी बनाम रतनी आदि
दावा घोषणा, रेकार्ड संशोधन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 61/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीनी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर खसरा संख्या 497 तादादी 5.0586 हेक्टेयर भूमि वादीनी व गौण प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि है जिसमें वादीनी व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/35 हिस्सा भूमि के खातेदार है। इस कारण वादगत भूमि में वादीनी व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम 1/35 हिस्सा भूमि खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज..................मुबलिग......................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह............
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक..को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/10/25..........

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट – खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)